

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 13.01.2025

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर अवैध पिस्टल जिन्दा व खोखा कारतूस बरामदा। अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह बाजार से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक-12.01.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह बाजार में वादी को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर फायरिंग करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 14/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 मुकेश त्रिपाठी, कां0 राजू यादव, कां0 सत्यम शर्मा, कां0 गुलशन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 01. अनुराग सिंह पुत्र अनिल सिंह 02. अर्पित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम लवौर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद पिस्टल 32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पट्टी में मु0अ0सं0 14/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- अनुराग सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम लवौर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

02- अर्पित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम लवौर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

अवैध 01 अदद पिस्टल 32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 मुकेश त्रिपाठी, कां0 राजू यादव, कां0 सत्यम शर्मा, कां0 गुलशन कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को सरकारी अस्पताल आसपुर देवसरा के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की पुत्री व उसके बच्चे को आरोपियों द्वारा अपहरण करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में अन्तर्गत धारा 87 बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का लाल बहादुर द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही/तलाश वांछित वारण्टी के दौरान अन्तर्गत धारा 87 बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त शुभम कुमार पाण्डेय पुत्र रविशेष पाण्डेय निवासी धौरहरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को सरकारी अस्पताल आसपुर देवसरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शुभम कुमार पाण्डेय पुत्र रविशेष पाण्डेय निवासी धौरहरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का लाल बहादुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहड़ौर के उ०नि० प्रतीक सिंह मय हमराह कां० मनीष कुमार यादव देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, क्रि० अपील 23/09 थाना महेशगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त शम्भूनाथ पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम कटारी थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शम्भूनाथ पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम कटारी थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० प्रतीक सिंह मय हमराह कां० मनीष कुमार यादव थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चायनीज मांझा के विरुद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान-

जीवन रक्षार्थ पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाया अभियान

चायनीज मांझे से बचें और सुरक्षित रहें।

प्रतापगढ़ -

आगामी त्यौहार व चाइनीज मांझे के बिक्री को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में जीवन रक्षार्थ चाइनीज मांझा बेचने वालों के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान-

उक्त अभियान में समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत मांझो की दुकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में जिन दुकानदारो द्वारा मांझो को मुनाफा कमाने के लिए इसे चोरी छिपे बेचते हैं या वे दुकानदार जिनके पास चाइनीज मांझे की डोर होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस ने पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे के खिलाफ एक खास अभियान चला रहा है। बता दें कि चाइनीज मांझे पर देश भर में प्रतिबंध के बावजूद इसे विभिन्न बाजारों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। चाइनीज मांझे से जुड़ी घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। ताकि इससे होने वाले हादसों पर लगाम लगाया जा सके।

आमजन से अपील की जाती है कि अपने दोस्तों और परिवार को चायनीज मांझे के खतरों के बारे में बताएं। पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित धागे का इस्तेमाल करें। चायनीज मांझा बहुत तेज होता है और यह लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है व चायनीज मांझा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। किसी बाजार या दुकान पर यदि चायनीज मांझा की बिक्री की जा रही है तो आप अपने नजदीकी थाना पर इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चायनीज मांझे से बचें और सुरक्षित रहें।